

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुकम के तामील में जारी हुए
---------------	-----------------------------------	--

7-1-21

वकील अग्रणी कटुष
 वकील अग्रणी द्वारा अग्रणी सं० ७ की तलबी हेतु न तो नोटिस पेश किए जा रहे हैं न ही सबीयत पेश किया गया है। एसी स्थिति में प्रकरण के अग्रणी सं० ७ की तलबी माह अक्टूबर 16 से अन्ततक नही हो पर है इस हेतु अन्तिम अवसर दिया जाता है 7 दिनों के भीतर वकील अग्रणी सं० ७ हमारा कटुष की तलबी हेतु सबीयत के साथ ही P.F. मय नोटिस पेश करे। पेश कबो या जारी हो। पेश नही करे तो प्रकरण में खारिज कर दी जायेगी जिसकी जिम्मेदारी वकील अग्रणी की होगी। फायली के उक्त पालन की जाये एवं दिनांक 25/2/21 को पेश हो

25/2/21

वकील अग्रणी कटुष
 वकील अग्रणी लम्बे समय से कटुष P.F. वाले तलबी अग्रणी पेश नही किए जा रहे हैं अन्तिम अवसर दिया जाता है अन्यथा प्रकरण defect में खारिज कर दिया जायेगा फायली दिनांक 19/4/21 को पेश हो।

जिला कलेक्टर, बाली

19/4/21

जिला कलेक्टर, बाली
 पत्रावली आज पेश हुई कोरेना वायरस से संक्रमित कारण वकील मंडल ने आज न्यायालय में उपस्थिति नहीं देने का निर्णय लिया है। पेशी इत्यादि होकर पत्रावली दिनांक 7/6/21 को पेश हो।

7/6/21

पत्रावली आज पेश हुई कोरेना वायरस से संक्रमित कारण वकील मंडल ने आज न्यायालय में उपस्थिति नहीं देने का निर्णय लिया है। पेशी इत्यादि होकर पत्रावली दिनांक 19/7/21 को पेश हो।

19/7/21

पत्रावली आज पेश हुई
 अग्रणी के अधिवक्ता लम्बे समय से दिनांक 1-1-2018 से कटुष है। उसके पश्चात से अधिवक्ता द्वारा अग्रणी उपो नही की गरी न ही अग्रणी उपो हुए हैं। एसी स्थिति में अग्रणी गण को तलबी हेतु लम्बे अवधि से P.F. समत एवं सबीयत दोनों ही प्रस्तुत नही करने के अग्रणी सं० 7 की तलबी नही हो पारही है जो एक विधिक त्रुटि है। आदेश 9 निमन पोच के अनुसार जहां बाकी समत तामील के बिना लॉट के पश्चात एक मामला एसा पेश आवेदत करने के असफल रहता है तो वाद खारिज किया जा सकता है। इस प्रकरण के ले अग्रणी के द्वारा अग्रणी उनके अधिवक्ता द्वारा न टाई वेरसे

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	<p> त लो तामिल हेतु नोटिस पेश किये जा रहे हैं न ही प्रार्थीगण एवं उनके अधिवक्ता उपर ही हो रहे हैं। तत्काली प्रार्थीगण की पूर्ण रूप से न होने तक प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही संभव नहीं हो पा रही है। एवं एसी स्थिति में प्रकरण को जारी रखना भी अन्यायोचित प्रतीत नहीं होगा है न बिन्ही सम्मत हैं। अतः प्रार्थीगण एवं उनके अधिवक्ता की विधिबद्ध त्रुटि मानते हुए। न P.F नोटिस लगे पत्रा के साथ पेश करें तथा न ही उपर होने के कारण यह प्रार्थना पत्र रवास्ति किया जाता है। पत्रावली संलग्न संचायत रेकर्ड लॉयया जावे। निर्दिष्ट की प्रति भी त्रिजवेशीय पत्रावली इस न्यायालय से शुभार वॉलन की जाकर नम्बर से कर हो। </p> <p style="text-align: center;"> <u>A</u> जिला कलेक्टर, बाली </p>	